प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनाँक 19.05.2026

संतकबीरनगर पुलिस ने बुजुर्ग की खोई मुस्कान लौटाई, ई-रिक्शा में छूटे ₹79,000 से भरा बैग सकुशल बरामद

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक श्री सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय के निकट पर्यवेक्षण में वादी चन्द्रिका पुत्र दुखी उम्र करीब 63 वर्ष निवासी नौदरी थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर के द्वारा सूचना दी गयी कि आवेदक दिल्ली में फर्नीचर बनाने का काम करता है। दिनांक 18.05.2026 को दिल्ली से खलीलाबाद के लिये चले थे कि आज दिनांक 19.05.2026 को खलीलाबाद में बस से उतरकर ई रिक्शा में बैठ गये और मेंहदावल बाई पास पर ई रिक्शा से उतर गये किन्तु बैग ई रिक्शा में ही छूट गया। जिसमें 79000 रूपये नकद था। उक्त सूचना पर सर्विलांस सेल व एसओजी टीम की मदद से आवेदक का बैग व उसके अन्दर रखे हुए 79000 रूपये सकुशल बरामद कर आवेदक चन्द्रिका उपरोक्त को सुपुर्द किया गया।

बरामद करने वाले पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण- एसओजी प्रभारी मय टीम, सर्विलांस प्रभारी मय टीम।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 22 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना महुली पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 08 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना धर्मसिहंवा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 414 वाहनों से 5,10,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 19.05.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 414 वाहनों से 5,10,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 द्वितीय चरण के तहत थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, अपहृता बरामद

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेहदावल ***श्री सर्वदवन सिंह*** के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मेहंदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए दिनाँक 19.05.2026 को थाना मेंहदावल पर पंजीकृत मु0अ0स0 197/2026 धारा 137(2)/87 बीएनएस व 3(2)(v) Sc/St Act से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त उस्मान पुत्र इस्माईल ग्राम श्रीनगर थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को मेंहदावल ब्लाक के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनाँक 18.05.2026 को थाना मेहंदावल पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना मेहंदावल पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया तथा अपहृता को बरामद किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री रामवशिष्ठ, कां0 धर्मेन्द्र यादव ,रि0म0का0 ललिता देवी ।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अन्तर्गत थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवती के साथ दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अभयनाथ मिश्रा*** के निकट पर्यवेक्षण में *थाना धनघटा पुलिस* द्वारा मु0अ0सं0 286/2026 धारा 333, 64(1) बीएनएस व 3 (2) (v) एससी/ एसटी एक्ट थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता तालिब खाँन पुत्र निशार अहमद साकिन कटया थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 19.05.2026 को नेतवापुर चौराहे के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 15.05.2026 को थाना धनघटा पर वादिनी की पुत्री के साथ उक्त अभियुक्त द्वारा घर में घुसकर दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना धनघटा पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- निरीक्षक अपराध श्री रामेश्वर यादव, का0 सत्यम सिंह द्वितीय, का0 मैनेजर यादव, रि0का0 सत्य कुमार।